न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व अपील संख्या 01/2020 (RCMS 2020/00020)

अपीलार्थी

1. चांदा पुत्री स्व. श्री मदन पत्नी घनश्याम जाति बावरी निवासी हाल हरसोर जिला नागौर
2. मन्जू पुत्री स्व. मदन बावरी पत्नी बनवारी जाति बावरी निवासी हाल अड़सर जिला नागौर
3. शोभा पुत्री स्व. श्रवणराम बावरी पत्नी अर्जुनराम जाति बावरी निवासी बुढ़ोद
4. सजना स्व. पुत्री श्रवणराम बावरी पत्नी पप्पुराम जाति बावरी निवासी बुढ़ोद एवं उक्त चारो का जन्म स्थान ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत पलाड़ा पंचायत समिति कुचामनसिटी जरिये सरपंच
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
3. उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी
4. मिश्रीलाल पुत्र हिराराम जाति बावरी निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी
5. सोहनीदेवी पत्नी स्व. मदनलाल दिनॉक 20.8.1990 को मृत्यु बाद विधवा विवाह से पत्नी स्व. श्री श्रवणराम जाति बावरी निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी।
6. हरिराम पुत्र स्व. मदनलाल जति बावरी निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 310 दिनॉकित 20.7.2019 पटवारी रिपोर्ट दिनॉक 25.06.2019 ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा ग्राम पलाड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 214, 216, 216, 217, 219 रकबा 4.05 हैक्टर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री रामनिवास अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 12-3-2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी, खसरा नम्बर 216 रकबा 2.10 है[illegible] [illegible] नम्बर 217 रकबा रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा न[illegible] 219 [illegible] 1.8[illegible] हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 4.05 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उ[illegible] कृषि आराजी के 1/2 हिस्से में सहखातेदार हीराराम, बंशी, हरजी पिसरान [illegible]बक्ष के नाम सयूक्त रूप से काश्त करते थे, हीरा पुत्र रामबक्ष बावरी आजीवन हिन्दू थे और हिन्दू मिताक्षरा विधि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शासित होते थे, हीरा पुत्र रामबक्ष का दिनॉक 14.08.2004 को निर्वसीयती देहान्त हो चुका है हीरा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

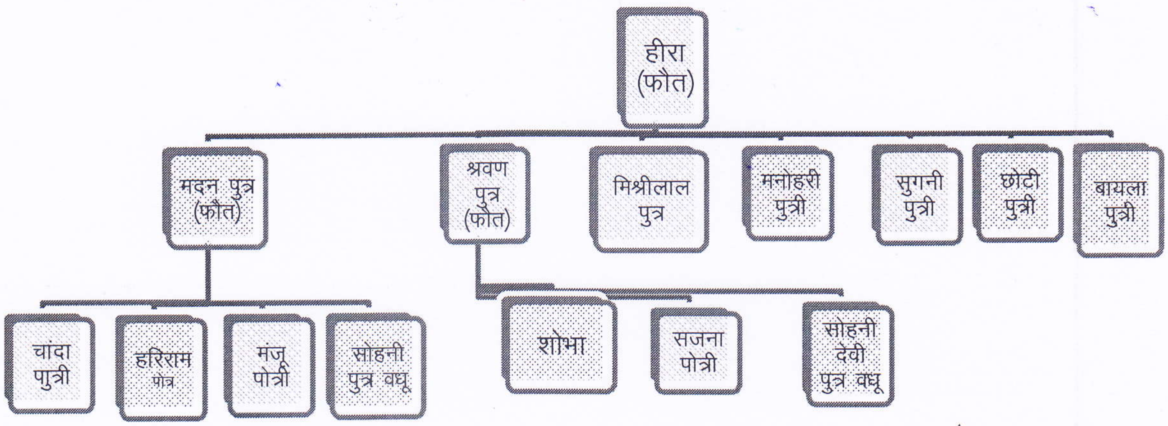

अपीलार्थीगण चांदादेवी, मन्जू एवं रेस्पोडेन्ट, सोहनी देवी स्व. हीराराम के मृत पुत्र के पुत्र मदनलाल के पुत्र पुत्री एवं पत्नी है श्री मदनलाल का देहान्त दिनॉक 20.08.1990 को हो चुका है, मदनलाल के देहान्त के बाद उनकी विधवा रेस्पोडेन्ट सोहनी देवी का पुर्नविवाह श्री श्रवण पुत्र हीरा बावरी के साथ हो गया, उक्त्त विवाह से श्रवणराम एवं रेस्पोडेन्ट सोहनीदेवी के संसर्ग सेस पुत्रिया अपीलार्थी शोभा एवं सजना उत्पन्न हुई, श्री श्रवणराम जी का दिनॉक 25.01.2010 को अपीलार्थी पुत्र सन्तान शोभा एवं संजना एवं पत्नी सोहनीदेवी को छोड़कर निर्वसीयती देहान्त हो चुका है, अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सोहनीदेवी एवं हरिराम अपने पिता मदनलाल के पिता एवं पति मदन एवं श्रवणराम के पिता श्री हीरा पुत्र रामबक्ष के खातेदारी अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण संयुक्त रूप से बतौर खातेदार अभिधारी हक अधिकार निहीत है, अपीलार्थीगण के पिता के पिताजी श्री हीरा जन्म से हिन्दू थे और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते थे, अपीलार्थीगण के पिताजी श्री हीरा निर्वसीयती मृत्यु के बाद मृत पुत्र मदन एवं श्रवण के पुत्र व पुत्रिया एवं पत्नी में विधि प्रभाव से विरासतन खातेदारी अधिकार निहीत हो चुके है, [illegible] हरिराम एवं सोहनी देवी के पिता एवं पति की मृत्यु के [illegible] मदनलाल के पूर्ण रक्त सम्बन्धी भाई रेस्पोडेन्ट मिश्रीलाल [illegible] चालाक आदमी है जो अपीलार्थीगण की पुश्तैनी जमीन का रिकार्ड [illegible] ही देखते रहे है, रेस्पोडेन्ट मिश्रीलाल ग्राम पलाड़ा की राजनीति में हस्तक्षेप के कारण तत्कालीन सरपंच नाथीदेवी ओर हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से सांठ–गांठ रखते थे, लिछमण हीरा बंशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शासित होते थे, हीरा पुत्र रामबक्ष का दिनॉक 14.08.2004 को निर्वसीयती देहान्त हो चुका है हीरा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

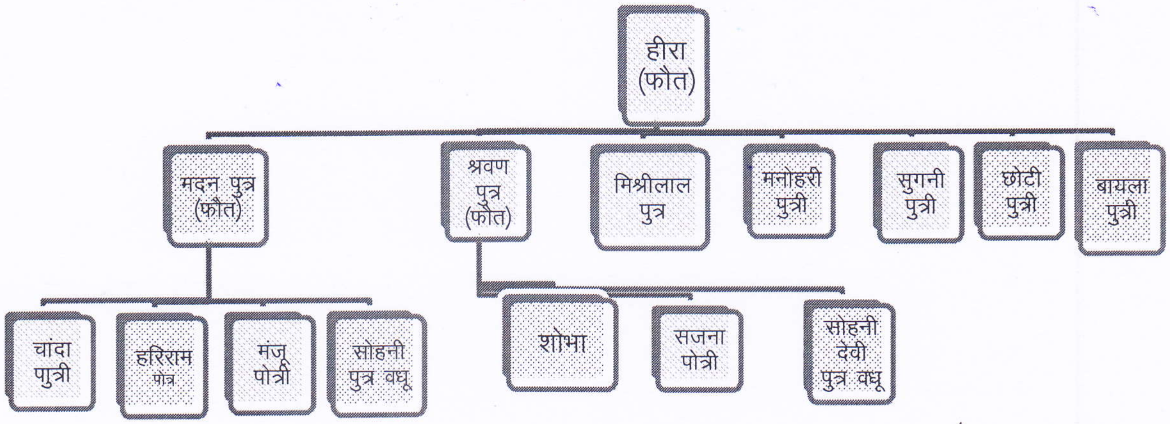

अपीलार्थीगण चांदादेवी, मन्जू एवं रेस्पोडेन्ट, सोहनी देवी स्व. हीराराम के मृत पुत्र के पुत्र मदनलाल के पुत्र पुत्री एवं पत्नी है श्री मदनलाल का देहान्त दिनॉक 20.08.1990 को हो चुका है, मदनलाल के देहान्त के बाद उनकी विधवा रेस्पोडेन्ट सोहनी देवी का पुर्नविवाह श्री श्रवण पुत्र हीरा बावरी के साथ हो गया, उक्त विवाह से श्रवणराम एवं रेस्पोडेन्ट सोहनीदेवी के संसर्ग सेस पुत्रिया अपीलार्थी शोभा एवं सजना उत्पन्न हुई, श्री श्रवणराम जी का दिनॉक 25.01.2010 को अपीलार्थी पुत्र सन्तान शोभा एवं संजना एवं पत्नी सोहनीदेवी को छोड़कर निर्वसीयती देहान्त हो चुका है, अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सोहनीदेवी एवं हरिराम अपने पिता मदनलाल के पिता एवं पति मदन एवं श्रवणराम के पिता श्री हीरा पुत्र रामबक्ष के खातेदारी अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण संयुक्त रूप से बतौर खातेदार अभिधारी हक अधिकार निहीत है, अपीलार्थीगण के पिता के पिताजी श्री हीरा जन्म से हिन्दू थे और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते थे, अपीलार्थीगण के पिताजी श्री हीरा निर्वसीयती मृत्यु के बाद मृत पुत्र मदन एवं श्रवण के पुत्र व पुत्रिया एवं पत्नी में विधि प्रभाव से विरासतन खातेदारी अधिकार निहीत हो चुके है, अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट हरिराम एवं सोहनी देवी के पिता एवं पति की मृत्यु के बाद श्री मदनलाल [illegible] मदनलाल के पूर्ण रक्त सम्बन्धी भाई रेस्पोडेन्ट मिश्रीलाल जो परिवार [illegible] होशियार चालाक आदमी है जो अपीलार्थीगण की पुश्तैनी जमीन का रिकार्ड भी ही देखते रहे है, रेस्पोडेन्ट मिश्रीलाल ग्राम पलाड़ा की राजनीति में हस्तक्षेप के कारण तत्कालीन सरपंच नाथीदेवी ओर हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से सांठ–गांठ रखते थे, लिछमण हीरा बंशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पि. रामबक्ष के देहान्त के बाद, हीरा के मृत पुत्र मदन और श्रवणराम के पुत्र एवं पत्नी अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सोहनीदेवी एवं हरिराम के अस्तित्व को छुपाकर ग्राम पंचायत पलाड़ा के तत्कालीन सरपंच, ग्राम सेवक हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से सांठ गांठ करके अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सोहनी एवं हरिराम को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं श्री हीरा पुत्र रामबक्ष द्वारा शासित स्वीय हिन्दू विधि के प्रावधानों विरूद्व जाकर अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सोहनी एवं हरिराम के अस्तित्व को जानबूझकर छुपाकर ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की नई खेवट खतौनी संख्या 198 पुरानी 247 के खसरा नम्बर नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 216 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा रकबा 0.02 हैक्टर गै. मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 219 रकबा 1.89 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 4.05 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी में नामान्तरकरण सं. 310 दिनॉक 20.07.2010 के द्वारा लिछमण हीरा बंशी पि. रामबक्ष के फौत होने पर इनके स्थान पर नारंगीदेवी पत्नी लिछमणराम प्रकाश पुत्र लिछमणरांम केशरदेवी बिदामीदेवी पुत्रिया लिछमणराम, बिरदीदेवी पत्नी हीराराम, मिश्रीलाल पुत्र हीराराम सुगनादेवी बायलादेवी छोटीदेवी मनोहरीदेवी पुत्रिया हीराराम मेवाराम धन्नाराम टीकमचन्द पि. बंशीराम इन्दिरादेवी साबुदेवी पुत्रिया बंशीराम जाति बावरी साकिन पलाड़ा का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन एवं राजस्व नियमो के विरूद्व है, राजस्व नियम एवं विधि का यह सिद्वान्त है कि हीरा का देहान्त के बाद सजरा खानदान में दर्शित हीरा के सभी वारिसान के हक में नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया है, हीरा पुत्र रामबक्ष की मृत्यु के बाद हीरा के मृत पुत्र श्रवण एवं मदन के पुत्र पुत्रिया अपीलाथीगण को ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा नोटिस देकर नामान्तरकरण के संबंध में पक्ष की सुनवाई किये बगैर ही आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि सं. 310 दिनॉक 20.7.2010 जिसकी पटवारी रिपोर्ट दिनॉक 25.06.2010 है के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वीकृत कर दिया और अपीलाधीन कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान अनुसार खातेदारी हक अधिकार निहीत होने के बावजूद नामान्तरकरण पंजिका में अपीलार्थीगण के वैध उत्तराधिकारी होने सम्बन्धी प्रविष्टि दर्ज की गई है फलतः आक्षेपित नामान्तरकरण प्रविष्टि अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण एव प्राकृतिक [illegible] विरूद्व होकर असंवैधानिक एवं अवैधानिक होने के कारण [illegible] भू–राजस्व अधिकार रेकार्ड देखने पर आलौच्य आदेश की [illegible] अपीलार्थीगण को जिला भू–अभिलेखागार नागौर से प्राप्त हुई तब [illegible]लौच्य नामान्तकरण कार्यवाही की अपीलार्थीगण को पुख्ता जानकारी व ज्ञान हुआ है वस्तुतः आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 310 दिनॉक 20.07.2010 प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विरूद्व अवैध फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मनमर्जी से की गई कार्यवाही होने के कारण इसे कभी भी किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है इस कारण इसे कभी भी किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है इस पर समयावधी लागू नही होती है, अपीलार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम पलाड़ा के नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. ढ़ाणी, खसरा नम्बर 216 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 219 रकबा 1.89 हैक्टर बारानी द्वितीय कुल रकबा 4.05 हैक्टर बाबत ग्राम पंचायत पलाड़ा द्वारा नामान्तरकरण पुस्तिका में दर्ज आलौच्य नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 310 दिनॉक 20.07.2010 को अपास्त कर निरस्त फरमावे एवं हीरा पुत्र रामबक्ष की मृत्यु के बाद प्रभावी स्वीय विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृत खातेदार हीरा के उत्तराधिकारियो के सम्बन्ध में जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करने के रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश प्रदान करावे।

अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टो को जरिये नोटिस तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलार्थीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2049–2052, 2053–2056 2057–2060, 2061–2064, 2065–2068, मिलान क्षेत्रफल की नकल, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 की नकल, नामान्तरकरण सं. 310 दिनॉक 20.07.2010 की प्रमाणित प्रति, बंशीराम पुत्र रामबक्ष के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, दाखादेवी पत्नी बंशीराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति, बंशीराम पुत्र रामबक्ष के वारिस होने का प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी दिनॉक 17.06.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, प्रकरण प्रस्तुतीकरण से पूर्व पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनॉक 8.11.2019 जो इस कार्यालय में दिनॉक 27.11.2019 प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

प्रकरण में उभय पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होने कथन किया है कि हीरा के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 310 दिनॉक 17.06.210 को अपास्त कर निरस्त करने के आदेश प्रदान फरमाये जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम पलाड़ा के गत खसरा नम्बर 79 से नये खसरा नम्बर [illegible]15 216 217 219 बने है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–20[illegible] खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 215 रकबा [illegible] गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 216 रकबा 2.10 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2[illegible] रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 219 रकबा 1.89 हैक्टर बारानी प्रथम कुल रकबा 4.05 हैक्टर में सुजाराम पुत्र रूपला जाति रावणा राजपूत 1/2 हि. लिछमण हीरा बंशी हरजी पि. रामबक्ष जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बावरी 1/3 हि. सा. देह खातदोर दर्ज है, सम्वत 2049–2052, 2053–2056 में उक्त अनुसार इन्द्राज दर्ज है तथा सम्वत 2057–2060 में सुजाराम के स्थान पर रामेश्वरसिंह पुत्र सुजाराम जाति रावणा राजपूत दर्ज हुआ है, सम्वत 2061–2064 के दौरान रामेश्वरसिंह पुत्र सुजाराम जाति रावणा राजपूत 1/2 हि. लिछमण हीरा बंशी हरजी पि. रामबक्ष जाति बावरी 1/3 हि. सा. देह खातदोर दर्ज है, सम्वत 2065–2068 के दौरान रामेश्वरसिंह पुत्र सुजाराम जाति रावणा राजपूत 1/2 हि. लिछमण हीरा बंशी हरजी पि. रामबक्ष जाति बावरी 1/3 हि. सा. देह खातदोर दर्ज है, नामा. सं. 310 दिनॉक 20.07.2010 के द्वारा लिछमण हीरा बंशी पि. रामबक्ष के फौत होने पर इनके स्थान पर नांरगीदेवी पत्नी लिछमणराम प्रकाश पुत्र लिछमणराम केशरदेवी बिदामीदेवी पुत्रिया लिछमणराम बिरदीदेवी पत्नी हीराराम मिश्रीलाल पुत्र हीराराम सुगनीदेवी बायलादेवी छोटीदेवी मनोहरीदेवी पुत्रिया हीराराम मेवाराम धन्नाराम टीकमचन्द पि. बंशीराम इन्दिरादेवी साबूदेवी पुत्रिया बंशीराम का नाम दर्ज किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 मे निम्नवत इन्द्राज है :–

ग्राम का नाम :- पलाड़ा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- पलाड्ग	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 202
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 210

काश्तकार का नाम:-
1. इंदिरादेवी पुत्री बंशीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
2. केशरदेवी पुत्री लिछमणराम हिस्सा- 1/32 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
3. खेमाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
4. छोटीदेवी पुत्री हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
5. टीकमचन्द पुत्र बंशीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
6. तेजाराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
7. धन्नाराम पुत्र बंशीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
8. नारंगीदेवी पत्नि लिछमणराम हिस्सा- 1/32 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
9. पप्पूराम पुत्र हरजीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
10. प्रकाश पुत्र लिछमणराम हिस्सा- 1/32 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
11. बायलादेवी पुत्री हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
12. बिदामी पत्नि हरजीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
13. बिदामीदेवी पुत्री लिछमणराम हिस्सा- 1/32 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
14. बिरदीदेवी पत्नि हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार
15. मनोहरदेवी पुत्री हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

16. मेवाराम पुत्र बंशीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार							
17. मि श्री लाल पुत्र हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार							
18. रामेश्वरसिंह पुत्र सुजाराम हिस्सा- 1/2 जाति- रावणा राजपुत सा. देह खातेदार							
19. सुगनीदेवी पुत्री हीराराम हिस्सा- 1/48 जाति- बावरी सा. देह खातेदार							
20. सन्तोषदेवी पुत्री हरजीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार							
21. साबुदेवी पुत्री बंशीराम हिस्सा- 1/40 जाति- बावरी सा. देह खातेदार							
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
214	0.0100	गै.मु.कुँआ	0.0100	0.00		स्वीकृत नामांतरकरण : 638 19/02/2020 विरासत	
215	0.0300	गै.मु.ढाणी	0.0300	0.00			
216	2.1000	बारानी 1	2.1000	12.60			
217	0.0200	गै.मु.ढाणी	0.0200	0.00			
219	1.8900	बारानी 1	1.8900	11.34			
कुल खसरे - 5	4.0500		4.0500	23.9400			

नामान्तरकरण सं. 310 दिनॉक 20.7.2010 अनुसार लिछमण हीरा बंशी पि. रामबक्ष के फौत होने पर इनके स्थान पर नांरगीदेवी पत्नी लिछमणराम प्रकाश पुत्र लिछमणराम केशरदेवी बिदामीदेवी पुत्रिया लिछमणराम बिरदीदेवी पत्नी हीराराम मिश्रीलाल पुत्र हीराराम सुगनीदेवी बायलादेवी छोटीदेवी मनोहरीदेवी पुत्रिया हीराराम मेवाराम धन्नाराम टीकमचन्द पि. बंशीराम इन्दिरादेवी साबूदेवी पुत्रिया बंशीराम का नाम दर्ज किया गया जो दिनॉक 20.07.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी द्वार स्वीकृत किया गया है, पटवारी हल्का पलाड़ा की मौका जांच रिपोर्ट दिनॉक 08.11.2019 अनुसार निम्नवत सजरा खानदान बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है :–

हीराराम (फौत)

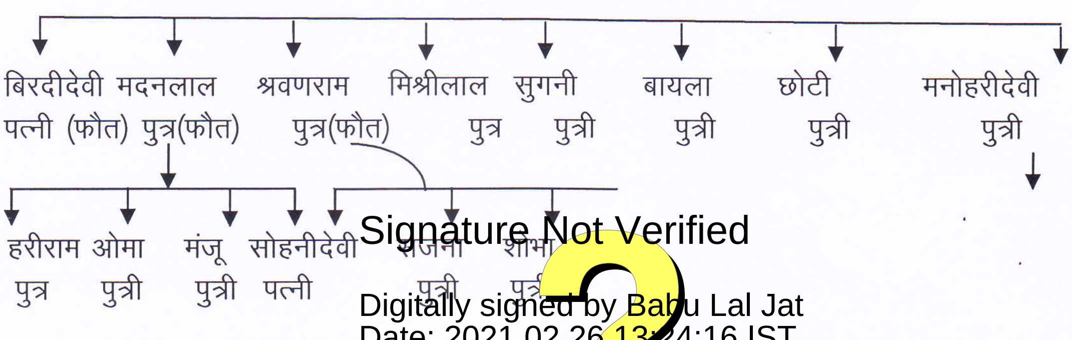

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार हीराराम के [illegible] होने पर उसकी पत्नी ने श्रवणराम से पुनर्विवाह कर लिया, मृतक मदनलाल के [illegible] संताने तथा श्रवणराम से दो संताने हुई, उपस्थित ने बताया कि मिश्रीलाल ने सरपंच व राजस्व कार्मिको को गलत सूचना देकर मृतक हीराराम का दिनॉक 20.07.2010 को ग्राम पलाड़ा में नामा.स. 310

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्वीकृत कराया, उपरोक्त कुर्सीनामा अनुसार मदनलाल, श्रवणराम के वारिसानो का नाम छोड़ दिया गया है, मदनलाल व श्रवणराम की मृत्यु पिता हीराराम से पूर्व होनेा बताया, मदनलाल की मृत्यु 1992 में तथा श्रवणराम ककी मृत्यु लगभग मदनलाल के 4–5 वर्ष बाद में हुई है। प्रकरण से सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि हीराराम के वारिसान मदनलाल एवं श्रवणराम के वारिसान का नाम फौतगी नामान्तरकरण में छोड़ा गया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार पैतृक सम्पति में संबंधित खातेदार के सभी वारिसान का नाम फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय दर्ज किया जाना चाहिऐ था, पटवारी हल्का पलाड़ा की मौका रिपोर्ट दिनॉ 8.11.2019 से साबित है कि हीराराम के वारिसान नामान्तरकरण सं. 310 भरते एवं स्वीकृति समय दर्ज रहने से छूट गये है, अतः उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 310 दिनॉक 20.07.2010 काबिल अपास्त योग्य है।

आदेश

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर ग्राम पंचायत पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 214, 215, 216, 217, 219 कुल रकबा 4.05 हैक्टर मे नामान्तरकरण सं. 310 स्वीकृत दिनॉक 20.07.210 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रकरण भेजकर आदेश किय जाते है कि हीरा पुत्र रामबक्ष के वारिसान की जांच कर उसके सभी जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनॉक 12/3/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:16 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:30:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: